

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

18/10

क्रमांक : प 10(4)न्याय/98

जयपुर, दिनांक :

18 OCT 2012

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषय :- नवसृजित 23 सिविल/अपर सिविल न्यायाधीश (व.स.) एवं अपर मुख्य न्यायिक/महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ :- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दि० 15.10.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाओं दिनांक 15.10.2012 द्वारा मुख्यालयों पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के नवसृजित न्यायालयों हेतु निम्नलिखित अस्थाई पद, पद भरने की तिथि से दिनांक 28.02.2013 तक सृजित करने हेतु महानहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम पद	पदों की संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	10 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
2.	स्टेनोग्राफर	10 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
3.	रीडर/बोलि०	10 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
3.	कनिष्ठ लिपिक	40 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 4-4 पद)
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	40 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 4-4 पद)

इसके अतिरिक्त मुख्यालयों से बाहर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के नवसृजित 13 न्यायालयों हेतु निम्नलिखित अस्थाई पद, पद भरने की तिथि से दिनांक 28.02.2013 तक सृजित करने हेतु महानहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम पद	पदों की संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	13 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
2.	स्टेनोग्राफर	13 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
3.	रीडर/बोलि०	13 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
3.	कनिष्ठ लिपिक	91 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 7-7 पद)
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	117 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 9-9 पद)

उपरोक्त 23 न्यायालयों हेतु नवीन आइटम्स क्रय करने के लिए प्रति न्यायालय निम्न प्रकार राशि स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	आइटम	राशि (लाख रु० में)
1.	फर्नीचर हेतु	2.50
2.	टेलीफोन (2) हेतु	0.02
3.	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर हेतु	0.62
	कुल राशि	3.14

उक्त न्यायालयों का आवर्तक व्यय बजट शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन 105-सिविल और सेशन न्यायालय (02) व्यवहार तथा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायिक दण्डनायको के न्यायालय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा। अतिरिक्त प्रावधान के सम्बन्ध में संशोधित अनुमान वर्ष 2012-13 के समय विचार किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 101203916 दिनांक 15.10.2012 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय
15/10/12
15/10/12
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. वित्त व्यय-5 / वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(1)(a)134/12/ 4607

दिनांक : 07/11/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निराला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर, अलवर, वारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दूरी, दोराण, श्रीगंगानगर, झुंझर, कोटा, पाली, सीकर, जयपुर महानगर, जोधपुर महानगर
02. निवृत्त न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायाधिक मजि0, संख्या-02 किशनगढ़, रिजारा, अटारू, कामां, संख्या-02 भीलवाड़ा, जहाजपुर, संख्या-02 निम्बाहेडा, वे शौराशपाटन, संख्या-02 श्रीगंगानगर, उदयपुरवादी, संख्या-07 कोटा, सुमेरपुर, संख्या-02 जीमकाथाना ।
03. अपर सिविल (व.ख.) एवं अपर मुख्य महानगर मजि0 संख्या-15 जयपुर महानगर, संख्या-16 जयपुर महानगर, संख्या-17 जयपुर महानगर, संख्या-18 जयपुर महानगर, संख्या-19 जयपुर महानगर, संख्या-20 जयपुर महानगर, संख्या 05 जोधपुर महानगर, संख्या 06 जोधपुर महानगर ।
03. प्र. म. न्या. (आर. जे. एस.) / सामान्य अनुभाग, रा. उ. न्या, जोधपुर ।
04. सहायक लेखाधिकारी (बजट), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)